www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित
देश की उपासना
देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए
DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर
वर्ष – 04 अंक – 305 जौनपुर शुक्रवार, 26 जून 2026 सान्ध्य दैनिक (संस्करण) पेज – 4 मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

जीएचएडीसी फंड घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 40 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त

शिलांग, (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिलांग सब–जोनल ऑफिस ने मेघालय में गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (जीएचएडीसी) के डेवलपमेंट फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत 40 लाख रुपए की कीमत वाली अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। ईडी ने जिन संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है, वह जीएचएडीसी के 16–आसानंग निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सदस्य (एमडीसी) इस्माइल आर. मारक के नाम पर है।ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7ए, 12 और 13 के तहत अपराधों के लिए वेस्ट गारो हिल्स, तुरा में स्पेशल जज की अदालत में 18 अप्रैल 2023 को दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी। यह चार्जशीट मेघालय लोकायुक्त शिकायत से जुड़ी थी। जांच से पता चला कि जीएचएडीसी को मिले लगभग 28.66 करोड़ रुपए के एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए ग्रांट में से, 1 करोड़ रुपए की राशि 16–आसानंग निर्वाचन क्षेत्र में 49 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित की गई थी।

सीबीआई ने देश भर में 80 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को बढ़ावा देने वाले साइबर क्राइम नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने ऑपरेशन चक्र–VI के तहत 60 स्पेशल टीमें बनाईं और 16 राज्यों पंजाब, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, कर्नाटक और ओडिशा में 80 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की।यह छापेमारी एक चल रही जांच का हिस्सा थी, जिसका मकसद डिजिटल अरेस्ट स्कैम के 200 से ज्यादा मामलों में शामिल एक नेटवर्क को खत्म करना था। इस दौरान चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर शेल कंपनियां बनाने और श्म्यूलश बैंक अकाउंट खोलने और चलाने में शामिल होने का आरोप है। बताया जाता है कि इन अकाउंट्स का इस्तेमाल अपराध से जुड़ी लगभग 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम को लॉन्डर करने (अवैध पैसे को वैध दिखाने) के लिए किया गया था।सीबीआई ने हाल ही में एक फर्जी वेबसाइट का पता लगाया, जिसका यूआरएल भारत के सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट जैसा ही था। धोखाधड़ी करने वालों ने कथित तौर पर इस फर्जी डोमेन का इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को धोखा देने के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। एडवांस्ड फॉरेंसिक टूल्स और तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सीबीआई ने भारत और विदेश में चल रहे।

32 की मौत- 700 से ज्यादा घायल, पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक, बोले- संकट में हर संभव मदद को तैयार है भारत

वेनेजुएला, (एजेंसी)। वेनेजुएला में आए सदी के सबसे विनाशकारी भूकंपों से मची भारी तबाही और जनहानि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने वेनेजुएला के नागरिकों के प्रति भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त कीं और संकट की इस घड़ी में हर संभव मानवीय और चिकित्सा सहायता देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा। ष्वेनेजुएला में आए जबरदस्त भूकंपों से हुई तबाही से बहुत दुख हुआ है। भारत के लोगों की ओर से, मैं वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों, खासकर उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हम घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं और इस मुश्किल समय में प्रभावित सभी लोगों के साथ खड़े हैं। भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी न्यूज के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वेनेजुएला के कैरेबियन तट पर आए इन दो शक्तिशाली भूकंपों में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव और राहत दल लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जिससे हताहतों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, बुधवार शाम वेनेजुएला में कुछ ही मिनटों के अंतराल पर दो बैक–टू–बैक भूकंप आए, जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया तटीय शहर मोरोन के पास जमीन से 22 किलोमीटर की गहराई पर आया, जिसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। इसके तुरंत बाद मोरोन के दक्षिण–पश्चिम में महज 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया।

भगवंत मान को सीएम पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए – राघव चड्ढा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े उस कथित फर्जी वीडियो को लेकर हमला बोला, जिसमें वो गुरु का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। विधान शाखा राघव चड्ढा ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की है। अब ऐसी स्थिति में भगवंत मान को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार है। उन्हें फौरन इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही, उनके खिलाफ नए बेअदबी कानून के तहत पहली प्राथमिकी भी दर्ज होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका थी कि यह वीडियो फर्जी है या नहीं, अब इन लोगों के मन से भी यह शंका दूर हो चुकी है क्योंकि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को सच्चाई छुपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ गई। अगर वीडियो असली नहीं होता, तो उन्हें फर्जी रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुर्भाग्य की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अकाल तख्त के खिलाफ कई तरह की बातें कीं। यहां तक उनके पीछे पेड ट्रोल भी लगाए गए। सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर अभद्र टिप्पणी की गई। पूरी सिख संगत आज गुस्से में है। आज आम आदमी पार्टी के सिख नेताओं से जनता यह सवाल करती है कि क्या वो गुरु साहिब के लिए समर्पित हैं? क्या वो सिख पंत के साथ हैं? क्या वो श्री अकाल तख्त साहिब को मानते हैं?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के सीएम धामी ने शूटिंग के दिग्गज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी

देहरादून। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के मझौन में देश के मशहूर शूटर और पद्म श्री से सम्मानित जसपाल राणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने राणा के परिवार के सदस्यों के लिए हिम्मत और हौसले की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राणा ने ग्लोबल लेवल पर भारतीय शूटिंग की पहचान को नया रूप देने और उसे ऊंचाइयों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने यह भी कहा कि खेल की दुनिया में उनके बड़े योगदान को आने वाले कई सालों तक याद किया जाएगा।इस मौके पर राजनाथ सिंह शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों से मिले और उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जसपाल राणा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राणा ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने शानदार प्रदर्शन से उत्तराखंड और देश का मान–सम्मान बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राणा की विरासत भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्थायी स्रोत बनी रहेगी।इस श्रद्धांजलि समारोह में कई प्रमुख नेता शामिल हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा और खजान दास, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद महेश शर्मा, अजय भट्ट और सुधांशु त्रिवेदी, भाजपा विधायक पंकज सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल थे।

आपातकाल पर मुख्यमंत्रियों का हमला, कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश में आपातकाल की 51वीं बरसी मनाई जा रही है। आपातकाल को काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद इस दिन को श्संविधान हत्या दिवसश के रूप में भी मनाया जाता है। इसी क्रम में गुरुवार को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पोस्ट में लिखा, 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वह काला अध्याय है, जब आपातकाल थोप कर देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। सत्ता के अहंकार में कांग्रेस की ओर से थोपे गए आपातकाल के अंधकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व नागरिक अधिकारों को गहरी चोट पहुंचाई। उस कठिन दौर में कठोर यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सभी महान लोकतंत्र सेनानियों को कोटिशरू नमन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि 25 जून 1975 की वह रात भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसे देश आज श्संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण कर रहा है। आपातकाल भारत के लोकतंत्र और संविधान पर हुआ सबसे बड़ा आघात था। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, ष्तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के निर्णय ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाई। उस दौर में नागरिक अधिकारों का हनन हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले लगाए गए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। सत्ता के अहंकार में लिया गया यह निर्णय कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। दुर्भाग्य से कांग्रेस आज भी इसी मानसिकता से ग्रसित है। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले अनेक लोगों ने दमन और असहनीय यातनाओं का सामना किया।

मानसून सत्र से पहले टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों पर आ सकता है बड़ा फैसला

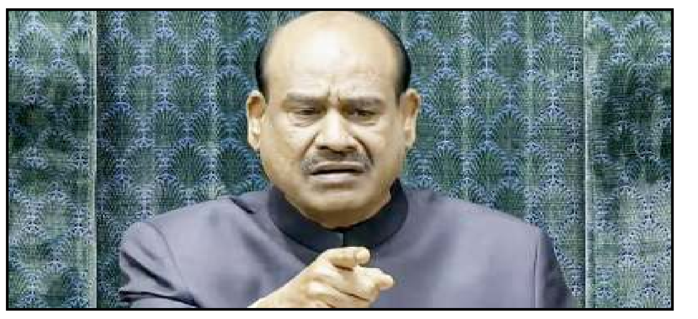

नई दिल्ली, (एजेंसी)। संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और शिवसेना (यूबीटी) के बागी सांसदों से जुड़े दल–बदल मामलों पर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि दोनों दलों ने अपने–अपने बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, स्पीकर कार्यालय इस मामले के सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की गहन समीक्षा कर रहा है।लोकसभा सचिवालय और संवैधानिक विशेषज्ञ दल–बदल विरोधी कानून के तहत दायर याचिकाओं का अध्ययन कर रहे हैं। पुराने न्यायिक फैसलों और संविधान की 10वीं अनुसूची से जुड़े प्रावधानों को भी खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी निर्णय कानूनी कसौटी पर पूरी तरह खरा उतर सके। माना जा रहा है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित मानसून सत्र से पहले इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, एक सांसद के निधन के बाद वर्तमान में पार्टी की एक सीट रिक्त है। इस बीच पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत करते हुए पश्चिम बंगाल की एक पंजीकृत लेकिन गैर–मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) का साथ पकड़ लिया। बागी सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। साथ ही उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन देने और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल होने की इच्छा भी व्यक्त की है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बागी सांसदों के खिलाफ अलग–अलग याचिकाएं दाखिल कर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की है।महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर चुने गए 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चले गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने भी लोकसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप की मांग की है।

पीएम मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज–II की आधारशिला रखेंगे – सीएम भजनलाल शर्मा

जयपुर, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राजस्थान भर में बुनियादी सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने और नागरिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जयपुर की परिवहन और स्वच्छता प्रणालियों को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को जयपुर मेट्रो फेज–II की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के प्रहलादपुरा–पिंजरापोल गौशाला कॉरिडोर के लिए वर्क ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश शामिल है।उन्होंने कहा कि मेट्रो का विस्तार ट्रैफिक जाम कम करने, यात्रा का समय घटाने और जयपुर के शहरी विकास को नई गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। सांगानेर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य उद्घाटन, शिलान्यास और लीज वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने लगभग 631 करोड़ रुपए के 1,538 विकास कार्यों को जनता को समर्पित किया और उनकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स सड़कों, पानी की सप्लाई और बिजली सेवाओं जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और अपग्रेड करेंगे, साथ ही नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएंगे।शर्मा ने कहा, ष्राज्य सरकार राजस्थान के सभी आठ करोड़ लोगों की भलाई और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे।

राहुल गांधी ने उठाए श्रम नीतियों पर सवाल, पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक फैक्टरी से मुक्त कराए गए 12 बंधुआ मजदूरों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को मानव गरिमा पर गंभीर हमला बताते हुए पीड़ितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर में सामने आया बंधुआ मजदूरी का मामला बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरों से बिना उचित भुगतान के काम कराया गया और उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया।कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल कानून–व्यवस्था का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि समाज और व्यवस्था के सामने गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता।कांग्रेस नेता ने इस घटना को व्यापक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए कहा कि जब रोजगार के अवसर कम होते हैं, आय के स्रोत सीमित हो जाते हैं और कमजोर वर्गों के लिए बनी सुरक्षा योजनाएं प्रभावी नहीं रहतीं, तब लोग शोषण का शिकार बनने लगते हैं।उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं और श्रमिक सुरक्षा कानूनों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि गरीब और कमजोर वर्गों को मजबूरी में ऐसे हालात का सामना न करना पड़े। राहुल गांधी के अनुसार, इस प्रकार की घटनाएं केवल आपराधिक मामला नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का भी संकेत हैं।

मोहन यादव पर लगे जमीन खरीद के आरोपों की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच हो - कांग्रेस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर उज्जैन में कथित जमीन खरीद से जुड़े आरोपों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग करते हुए कहा कि यदि सरकार और मुख्यमंत्री पूरी तरह पारदर्शी हैं तो उन्हें न्यायिक जांच से परहेज नहीं होना चाहिए।दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतने बड़े आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि उज्जैन में जमीन खरीद के मामले में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संरक्षण की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पैदा हुए संदेह को दूर करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए अन्य राजनीतिक और सामाजिक विषयों को आगे ला रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से कई सवाल पूछते हुए कहा कि यदि सभी लेन–देन कानूनी और पारदर्शी हैं तो सरकार न्यायिक जांच का आदेश क्यों नहीं देती।अखबार पटवारी ने मांग की कि मुख्यमंत्री अपने परिवार की 2023 से अब तक की भूमि संपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करें। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी किसी कंपनी को विकास परियोजनाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों के मास्टर प्लान में किए गए बदलावों को सार्वजनिक करने की भी मांग की।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह स्पष्ट होना चाहिए। कि जिन क्षेत्रों में जमीन के सौदे हुए, वहां के किसानों और स्थानीय जमीन मालिकों को इन लेन–देन की जानकारी थी या नहीं। पार्टी का कहना है।

संपादकीय

खतरे की घंटी बजा

टीसीएस में मानव कर्मचारियों की संख्या आधी रह जाएगी। जो वहां होगा, वही रुझान अन्य आईटी कंपनियों में भी देखने को मिल सकता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में फिलहाल 60 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन दो टूक यह कह कर खतरे की घंटी बजा दी है कि उनकी कंपनी में अब जितने मानव कर्मचारी होंगे, उतनी ही संख्या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) एजेंट लगाए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि मानव कर्मचारियों की संख्या अगले कुछ वर्षों में आधी रह जाएगी। जो टीसीएस में होगा, जाहिर है, वही रुझान अन्य आईटी कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। भारत की आईटी इंडस्ट्री में फिलहाल 60 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। इस क्षेत्र में तनख्वाह अपेक्षाकृत ज्यादातर अन्य क्षेत्रों से अधिक रही है। इस रूप में ये उद्योग भारत में उपभोक्ता मध्य वर्ग का सबसे बड़ा सहारा है। आय कर दाताओं में सबसे बड़ा हिस्सा आईटी कर्मियों का ही है। अब अगर रोजगार के लिहाज से देखें, तो एआई इस क्षेत्र के लिए तलवार बन कर आई है। नए डिग्रीधारियों के लिए अवसर यहां पहले से सिकुड़ रहे हैं। पिछले साल कर्मचारियों की छंटनी भी जोर पकड़ गई। खुद टीसीएस से 12 हजार कर्मी निकाले गए। अब चंद्रशेखरन ने साफ किया है कि यह सब नीतिगत निर्णय के तहत हो रहा है। मतलब यह कि साल 2000 के आसपास इंजीनियरिंग कॉलेज की डिग्री लेकर बेहतर करियर बना लेने का जो भरोसा भारत में बना, अब उसकी नींव हिलने लगी है। नौकरियों की संभावना नहीं होगी, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों के फैले जाल पर भी बुरा असर पड़ेगा। आशंका पहले से जताई जा रही है कि इन सबका असर मध्य वर्ग के सिकुड़ने के रूप में सामने आएगा। यानी आईटी इंडस्ट्री में जो होने जा रहा है, उसके परिणाम दूरगामी हैं। बेशक, एआई से नए कौशल वाली कुछ नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन ट्रेंड यह है कि एआई एजेंट दोहराव वाले हर ऐसे कार्य के लिए प्रशिक्षित होते जा रहे हैं, जिनमें तकनीकी कौशल की जरूरत पड़ती है। स्पष्टतरू जितनी नौकरियां जाएंगी, उसकी तुलना में बहुत कम नए रोजगार पैदा होंगे। और यह तो सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की बात है। एआई का उपयोग ऐसे अनेक क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जहां ह्वाइट कॉलर रोजगार के अवसर बनते रहे हैं। वहां भी तलवार गिरने वाली है।

नया भारत संदेह से भरोसे की ओर और डर से आजादी की ओर बढ़ रहा है

पीयूष गोयल

दशकों तक, भारत की नियामक प्रणाली नागरिकों को गहरे अविश्वास की नजर से देखती थी। नागरिकों को मामूली, प्रक्रियात्मक गलतियों या किसी अधिकारी के केवल शक के आधार पर अपराधी मान लिया जाता था। एक सुखद बदलाव के तौर पर, मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए भरोसे और सहानुभूति पर आधारित नीतियां बनाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों और व्यवसायों का समर्थन करने, अनुपालन को सरल बनाने और व्यवसायों के सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भारत के कानूनी परिदृश्य में सुधार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे अनुपालन बोझ कम करना हो, डिजिटलीकरण हो, या एकल–खिड़की मंजूरी हो, कुल मिलाकर बदलाव का मकसद शासन को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाना रहा है। प्रधानमंत्री का विश्वास और सहानुभूति पर आधारित शासन का मंत्र स्पष्ट रूप से जन विश्वास अधिनियम, 2026 और 2023 के इसी तरह के एक कानून में दिखाई देता है। नागरिक–अनुकूल – एक नागरिक–अनुकूल नियामक वातावरण बनाने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, नया कानून मामूली अपराधों से निपटने के लिए स्पष्ट सिद्धांत अपनाता हैरू दंड से पहले चेतावनी देना, अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना तय करना, त्वरित और पारदर्शी समाधान और जुर्माने का एक गतिशील ढांचा, जिसमें समय–समय पर संशोधन होता हो, ताकि नियम लागू करने का तरीका प्रभावी, प्रासंगिक और समय के साथ उत्तरदायी बना रहे। यह नियामक दृष्टिकोण, अनुपालन और लागू करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है, जो प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि भारत की 21वीं सदी की आकांक्षाएँ औपनिवेशिक शासन के पुराने तरीकों के माध्यम से पूरी नहीं हो सकतीं। इस सुधार का पैमाना अभूतपूर्व है। जन विश्वास अधिनियम 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय कानूनों से जुड़े 784 प्रावधानों को संशोधित करता है। यह लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए 717 प्रावधानों को अपराधमुक्त करता है और 67 प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है। यह स्वतंत्र भारत के विधायी इतिहास में सबसे बड़ी अपराधमुक्ति पहल है। यह 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाता है, पुराने और अनावश्यक प्रावधानों को हटाता है, पुराने औपनिवेशिक काल के अप्रचलित अपराधों को खत्म करता है और आपराधिक न्यायालयों के बाहर निर्णय और अपील की व्यवस्था को मजबूत करता है। स्वागत योग्य बदलाव दृ पहले, किसी घर, इमारत या वाहन में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच मौजूद होने पर किसी व्यक्ति को तीन महीने की जेल हो सकती थी, यदि वह श्संतोषजनक स्पष्टीकरणश नहीं दे पाया हो। यह औपनिवेशिक काल के शक पर आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें सामान्य आवाजाही को भी संभावित अपराध माना जाता था। यह सुधार इस अपराध को पूरी तरह समाप्त कर देता है और कानून को आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाता है। पिछली व्यवस्था के तहत, यदि किसी व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस की समय–सीमा समाप्त हो गयी है, तो अगले ही दिन सड़क पर गाड़ी चलाने पर उस पर आपराधिक आरोप लग जाते थे। नए कानून में 30 दिन की छूट अवधि दी गई है। एक छोटे निर्माता का उदाहरण लें, जो अप्रेंटिसशिप अधिनियम के तहत पंजीकरण का विवरण अद्यतन नहीं कर पाता है। पहले यह एक आपराधिक चूक थी, लेकिन अब केवल नियमों की बार–बार अवहेलना पर ही सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह, पहले किसी खनन कंपनी की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में हुई चूक के कारण जेल की सजा तक हो सकती थी। आज, ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना लगता है। गैरकानूनी खनन, धोखाधड़ी, जानबूझकर नुकसान और सार्वजनिक हित के गंभीर उल्लंघनों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी अभी भी मौजूद हैय लेकिन कागजी कार्रवाई की कमियों के लिए नहीं। सभी के लिए 12 साल का लाभ दृ श्जन विश्वासश कानून, सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने की पीएम मोदी के प्रयासों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर देश–सेवा के 12 सालों में और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, यह पीएम मोदी का प्रमुख मिशन रहा है। जन विश्वास 2026 एक महत्वपूर्ण स्तंभ पर आधारित है। भारत ने 2023 में पहले जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस प्रयास ने दिखाया कि नियमों को लागू करने की प्रक्रिया को कमजोर किए बिना गैर–अपराधीकरण से शासन में सुधार किया जा सकता है। 2026 का कानून इस प्रक्रिया को लगभग चार गुना बढ़ा देता है, जो यह संकेत देता है कि यह कोई एक बार की पहल नहीं है, बल्कि सुधार की दिशा में लगातार चलने वाली पहल है।

आपातकाल के स्याह दिनों को याद करना जरूरी

आशीष

25 जून 1975 की रात 11 बजकर 45 मिनट पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी के अध्यादेश पर दस्तखत किए। इसी के साथ नागरिक अधिकार, स्वतंत्र विचरण, असहमति–विरोध के अधिकार, मुक्त लेखन आदि के दरवाजे बंद कर दिए गए। 26 जून की सुबह तानाशाही अमावस्या की काली अंधेरी रात की तरह छा चुकी थी। लगभग सभी प्रमुख नेता एवं लाखों कार्यकर्ता बिना कारण बताए जेल में डाल दिए गए। कई स्थानों पर पुलिस की ज्यादती देखने को मिली। उन दिनों लोकतंत्र की रक्षा करने लायक कोई संस्था नहीं बची। आपातकाल का विरोध करने वाले मीडिया का दमन किया गया। न्यायपालिका सत्ताधारी दल को नाखुश करने में संकोच करती दिखी। नौकरशाहों की चापलूसी के चलते प्रशासनिक संस्थाएं पंगु सी हो गईं। उन दिनों स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी के करीबियों को छोड़कर अन्य सभी संदेह के घेरे में थे। देश में आपातकाल लगाया गया तो उसके पीछे संजय गांधी की अहम भूमिका रही। संजय गांधी ने अपनी युवा नेताओं की टीम के साथ आपातकाल के दौरान काफी जुल्म किए थे। संजय गांधी ने अपने करीबियों के साथ मिलकर आपातकाल में नसबंदी, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए जबरन झुग्गियों को उजाड़े जाने जैसे कई फैसले लिए, जिसकी वजह से भारत के आपातकाल को देश का सबसे काला दिन कहा जाता है। उस दौर में इमरजेंसी का विरोध करने की सजा जेल होती थी और इस दौरान 21 महीने में 11 लाख लोगों को गिरफ्तार कर जेलों में भेजा गया। इस दौरान लोगों ने शासन का क्रूर चेहरा देखा था, जिसमें जनता नहीं शासन और उसके आका सर्वशक्तिमान बन बैठे थे। लोक पीछे छूट गया था और तंत्र सर्वोपरि हो गया था। कहा जाता है कि उस दौर में देश प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास से चलता था, जहां संजय गांधी रहते थे। विपक्ष की आवाज को दबाने के बाद इंदिरा गांधी ने संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल पर भी रोक लगा दी। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही के पहला घंटे में संसद सदस्य कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे प्रश्नकाल बोलते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को उस दौर में प्रश्न पूछना भी बर्दाश्त नहीं था। इंदिरा गांधी के इस फैसले पर तब के लोकसभा अध्यक्ष जीएस ढिल्लों आंखें बंद किए रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में अपने हिसाब से संशोधन करने शुरू किए। इंदिरा गांधी के आपातकाल के फैसले के खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील की। तो 22 जुलाई 1975 को इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन कर न्यायपालिका यानी कोर्ट से आपातकाल के फैसले पर सुनवाई का अधिकार ही छीन लिया। इसे 38वां संशोधन कहा जाता है। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन कर कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया गया। यानी इंदिरा गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव में धांधली के मामले की सुनवाई कर ही नहीं सकता था। इमरजेंसी में अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोंट दिया गया था। सरकार अपने खिलाफ कोई भी आवाज नहीं सुनना चाहती थी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह इमरजेंसी के रोड–रोलर से प्रेस की आजादी को कुचला गया। 25 जून 1975 की आधी रात को इमरजेंसी लगाई गई और अखबारों के दफ्तरों में उसी रात को पावर सप्लाई जानबूझकर काट दी गई ताकि ज्यादातर अखबार अगले दिन आपातकाल का समाचार ना छाप सकें। अखबारों के दफ्तरों को दो दिन बाद पावर सप्लाई की गई। संजय गांधी ने इमरजेंसी के दो दिन बाद ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल को हटाकर अपने करीबी विद्याचरण शुक्ल को मंत्री बना दिया और विद्याचरण शुक्ल के जरिए सरकार ने मीडिया पर मनमानी की। कड़ी सेंसरशिप की वजह से कई अखबारों का प्रकाशन बंद हो गया। पत्रकारों के लिए सरकार ने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। अखबारों के बोर्ड में सरकारी अफसर बैठा दिए गए। जो हर खबर पर नजर रखते थे। देश की चार बड़ी न्यूज एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्थान समाचार और समाचार भारती का विलय करके सरकार ने एक समाचार एजेंसी बना दी थी। ताकि खबर का हर स्रोत पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहे। रायटर सहित कई विदेशी न्यूज एजेंसियों के टेलीफोन और दूसरी सुविधाएं खत्म कर दी गईं। 51 विदेशी पत्रकारों की मान्यता छीन ली गई। 29 विदेशी पत्रकारों को भारत में एंट्री देने से मना कर दिया गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि आज हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इमरजेंसी वाली कहानी एक सुपरहिट स्क्रिप्ट नहीं है। यानी इमरजेंसी का अनुभव फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना कड़वा रहा कि तमाम फिल्मकार इस विषय को फिल्मों में उठाने से बचते रहे। अभिव्यक्ति की आजादी को जिस तरह इमरजेंसी के दौरान कुचला गया। वैसा आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लेकिन तब भी फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो

इंदिरा गांधी की अवहेलना नहीं करना चाहता था। 975 में आपातकाल के इस काले अध्याय की नींव इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने मिलकर रखी थी। ये परिवारवाद का दौर था। तब भी मां–बेटे ही मिलकर सरकार चला रहे थे। और आज भी मां–बेटे मिलकर ही देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस चला रहे हैं। यह कांग्रेस के शासन का इतिहास है, किन्तु बहुत से कांग्रेसी दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या फिर वह लोगों की स्मृति से लोप हो गया है, किन्तु वे लोग जिनका लोकतंत्र में अटल विश्वास है, फिर से ऐसा नहीं होने देना चाहते। आतंक के दिनों को भूलना मुसीबतों को फिर से न्योता देने के समान है। इसलिए लोकतंत्र की खातिर आपातकाल की वर्षगांठ 25 जून पर इनके स्याह दिनों को याद करना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी नीत मौजूदा केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 25 जून को श्शसंविधान हत्या दिवसश्श घोषित कर दिया है। यह आपातकाल के दौरान शासन की ज्यादतियों की पुनः याद दिलाने और सबक लेने के लिए मनाया जाता है। आपातकाल के दौरान समूचा देश जिस तरह सरकारी जुल्म–ज्यादती का शिकार बना, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। आपातकाल की वर्षगांठ पर हमें उन भयावह संवैधानिक संशोधनों पर भी नजर डालनी चाहिए जो कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान किए थे। इनमें प्रधानमंत्री को संविधान से ऊपर स्थापित करना, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करना और राष्ट्रपति को कार्यकारी आदेशों के माध्यम से संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करना शामिल था। इन संशोधनों ने संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों को ही

कारोबार और सत्ता के रिश्ते पर गहराती बहस

राजु

उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के कारण आने वाले वर्षों में भूमि का महत्व और बढ़ना तय है। सड़क, बायपास, कॉरिडोर, आवासीय और व्यावसायिक विस्तार जैसी घोषणाएं किसी भी शहर के भूमि बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं। उज्जैन भूमि प्रकरण को उस व्यापक विकास परिदृश्य में भी देखने की आवश्यकता है, जो इस समय पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। मध्यप्रदेश की राजनीति में समय–समय पर ऐसे विवाद सामने आते रहे हैं, जिन्होंने सत्ता और संपत्ति के रिश्ते पर सवाल खड़े किए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय दैनिक इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत जांच रिपोर्ट ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परिवार, करीबी रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों ने पिछले दो वर्षों में उज्जैन और उसके आसपास बड़े स्तर पर भूमि खरीदी की है। रिपोर्ट में विशेष रूप से इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि इन खरीदों का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में दिखाई देता है, जहां सड़क परियोजनाएं, कॉरिडोर, बायपास, भूमि उपयोग परिवर्तन या अन्य विकास गतिविधियां प्रस्तावित अथवा क्रियान्वित हो रही हैं यानी इस खरीदी में एक खास पैटर्न दिखाई देता है।रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस, वाम दलों और अन्य विपक्षी दलों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। दूसरी ओर भाजपा ने इस प्रकरण पर जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदार स्वतंत्र कारोबारी हैं और उनके निजी लेन–देन को मुख्यमंत्री से जोड़ना उचित नहीं है। दो दशक पहले शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद सामने आया डंपर प्रकरण भी ऐसा ही एक मामला था। उस विवाद में भी शुरुआती बहस किसी अपराध के सिद्ध होने की नहीं थी। लेकिन आरोप इतने गंभीर थे कि मामला अदालतों तक पहुंचा, जांच हुई और वर्षों तक मध्यप्रदेश की राजनीति में बहस का विषय बना रहा।डॉ.मोहन यादव का परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार में सक्रिय रहा है। उज्जैन उनका गृह नगर है। आने वाले सिंहस्थ को देखते हुए वहां लगातार विकास कार्यों की घोषणाएं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि परिवार या रिश्तेदार भूमि खरीदते हैं, तो केवल इसी आधार पर सीधे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि इसमें घोटाला हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है? यदि एक खोजी रिपोर्ट भूमि अभिलेखों, मास्टर प्लान, सड़क परियोजनाओं और भूमि खरीद के बीच एक संबंध रेखांकित करती है, तो उसे केवल राजनीतिक आरोप कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में कई बार सवाल किसी एक लेन–देन से नहीं, बल्कि अनेक घटनाओं के बीच दिखाई देने वाले क्रम और प्रवृत्ति से पैदा होते हैं। उज्जैन भूमि प्रकरण में भी यही स्थिति है।उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के कारण आने वाले वर्षों में भूमि का महत्व और बढ़ना तय है। सड़क, बायपास, कॉरिडोर, आवासीय और व्यावसायिक विस्तार जैसी घोषणाएं किसी भी शहर के भूमि बाजार को सीधे प्रभावित करती हैं। उज्जैन भूमि प्रकरण को उस व्यापक विकास परिदृश्य में भी देखने की आवश्यकता है, जो इस समय पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल रहा है। सिंहस्थ–2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में हजारों करोड़ रुपये की अधोसंरचना परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। मार्च 2025 तक सिंहस्थ से जुड़े 2,329 करोड़ रुपये के कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रगति पर थे। इसके अतिरिक्त जल संसाधन विभाग की 2,533 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाएं, ऊर्जा विभाग की 329 करोड़ रुपये की छह परियोजनाएं, 9,650 करोड़ रुपये की दो और चार लेन सड़क परियोजनाएं, 382 करोड़ रुपये की पर्यटन परियोजनाएं तथा 259 करोड़ रुपये की सांस्कृतिक परियोजनाएं प्रस्तावित अथवा क्रियान्वित हैं। मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य परियोजनाएं भी इस विकास योजना का हिस्सा हैं। राज्य सरकार केंद्र से सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग भी कर चुकी है।ऐसी परिस्थितियों में यदि सत्ता के करीब माने जाने वाले परिवार और उससे जुड़े कारोबारी समूह उन्हीं इलाकों में सक्रिय दिखाई देते हैं, तो जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। यदि किसी खोजी रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं और भूमि निवेश के बीच एक विशेष मेल सामने आता है, तो मामला केवल जमीन खरीदने का नहीं रह जाता। वह विकास की दिशा, भूमि निवेश और सार्वजनिक पद की नैतिक जवाबदेही से भी जुड़ जाता है। ऐसे प्रश्नों पर स्वतंत्र जांच की मांग को अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता। कांग्रेस का तर्क है कि उसने मुख्यमंत्री की जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि भूमि खरीद और विकास परियोजनाओं के बीच दिखाई दे रहे संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा की ओर से इसे पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को बदनाम करने का प्रयास बताया गया है। यह राजनीतिक जवाब हो सकता है, लेकिन इससे मूल सवाल का समाधान नहीं होता। यदि संदेह भूमि सौदों को लेकर है, तो उसका उत्तर भूमि सौदों और उनसे जुड़े तथ्यों से ही आएगा। जांच की मांग को केवल विपक्षी राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यदि वास्तव में सभी भूमि खरीद सामान्य कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा हैं एवं विकास परियोजनाओं और जमीन खरीद के बीच कोई अनुचित संबंध नहीं है, तो निष्पक्ष जांच का सामना करना चाहिए। राजनीति इस पूरे विवाद का राजनीतिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह डॉ. मोहन यादव से जुड़ा पहला बड़ा व्यक्तिगत विवाद बनकर उभरा है। यदि आने वाले दिनों में और दस्तावेज, नए तथ्य या अतिरिक्त भूमि लेन–देन सामने आते हैं, तो विवाद और गहरा सकता है। जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। स्वाभाविक है कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन में भी उठाएगा। उज्जैन भूमि प्रकरण में जरूरी है कि राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो। क्योंकि इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनुत्तरित है। यदि सब कुछ सामान्य है, तो फिर सत्ता और संपत्ति के बीच यह पैटर्न बार–बार दिखाई क्यों दे रहा है? और यदि यह केवल संयोग है, तो इसकी पुष्टि करने का सबसे अच्छा तरीका स्वतंत्र जांच ही है।

स्मार्टफोन संयमित उपयोग की वैश्विक जरूरत

ललित

विज्ञान और तकनीक ने मानव सभ्यता को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज का युग डिजिटल युग है, जहां एक क्लिक पर पूरी दुनिया हमारी हथेली में सिमट आई है। स्मार्टफोन ने संचार, शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शासन और सामाजिक संबंधों को नई दिशा दी है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती है। स्मार्टफोन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह जितना बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है, उतना ही बड़ा अभिशाप भी बनता जा रहा है। विशेष रूप से बच्चों और किशोरों पर इसके दुष्प्रभावों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। आज विश्वभर में यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्मार्टफोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है, जिसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। दुर्भाग्यवश, विवेक और अनुशासन के अभाव में इसका नकारात्मक पक्ष अधिक मुखर हो रहा है। स्मार्टफोन की लत बच्चों और युवाओं में मानसिक तनाव, अवसाद, एकाकीपन, हिंसक प्रवृत्तियों, अश्लीलता, साइबर अपराध और सामाजिक विघटन का कारण बन रही है। यही कारण है कि आज केवल परंपरागत समाज और विकासशील देश ही नहीं, बल्कि विकसित देश भी इस चुनौती से निपटने के लिए कठोर कदम उठा रहे हैं। हाल ही में भारत के हरियाणा के नूंह जिले के सुखपुरी गांव की पहल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। गांव की पहचान साइबर अपराध के केंद्र के रूप में बनने लगी थी। इससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से स्मार्टफोन त्यागने और बेसिक फोन अपनाने का निर्णय लिया। यह केवल मोबाइल तोड़ने की घटना नहीं, बल्कि समाज की उस पीड़ा की अभिव्यक्ति है, जो तकनीक के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है। गांव के युवाओं का विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि आज शिक्षा, रोजगार, डिजिटल भुगतान और सरकारी सेवाएं स्मार्टफोन पर निर्भर हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है–क्या समाधान तकनीक का बहिष्कार है या उसके विवेकपूर्ण उपयोग का संस्कार? विश्व के अनेक देशों ने इस प्रश्न पर गंभीर चिंतन आरंभ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, चीन और अमेरिका जैसे देशों में बच्चों और किशोरों के स्मार्टफोन उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में अनेक पहलें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग पर आयु–सीमा तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंध लागू किया है। ब्रिटेन में भी स्कूलों में मोबाइल उपयोग को सीमित करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया कंपनियों के विरुद्ध मुकदमे दायर हुए हैं और उन पर भारी जुर्माने लगाए गए हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीक का विरोध नहीं, बल्कि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वास्तव में स्मार्टफोन जहां वरदान है, वहीं अभिशाप भी है। इससे ज्ञान का भंडार भी उपलब्ध है और भ्रम का संसार भी। यह शिक्षा का माध्यम भी है और अश्लीलता तथा हिंसा का प्रवेश–द्वार भी। यह रोजगार के अवसर भी देता है और साइबर अपराध की राह भी खोलता है। आज अनेक युवा रातों–रात अमीर बनने की लालसा में साइबर ठगी, सेक्सटॉर्शन, ऑनलाइन जुआ और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे अपराधों में फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लील सामग्री, फेक न्यूज, नफरत और ट्रोल संस्कृति ने सामाजिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई है। सबसे अधिक चिंता का विषय बच्चों और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य है। शोध बताते हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है। नींद में कमी, चिड़चिड़ापन, अवसाद, चिंता, आत्महत्या की प्रवृत्ति और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। परिवारों में संवाद कम हुआ है और डिजिटल निकटता के बावजूद भावनात्मक दूरियां बढ़ी हैं। बच्चे खेल के मैदानों से दूर होकर आभासी दुनिया में खोते जा रहे हैं। विशेषतः ‘स्मार्टफोन एक दुधारी तलवार है’। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अत्याधुनिक संचार माध्यमों ने इस चुनौती को और अधिक जटिल बना दिया है। एआई जहां शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, वहीं इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डीपफेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, साइबर ठगी, पहचान की चोरी, फेक न्यूज और डिजिटल ब्लैकमेल जैसे अपराधों में एआई का इस्तेमाल चिंताजनक स्तर तक बढ़ गया है। स्मार्टफोन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे सुलभ और प्रभावी माध्यम बन गया है। एक साधारण मोबाइल फोन के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति एआई आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग कर नकली तस्वीरें और वीडियो तैयार कर सकता है, भ्रामक सूचनाएं फैला सकता है या साइबर अपराधों को अंजाम दे सकता है। विशेष रूप से किशोर और युवा, जिनके पास तकनीकी कौशल तो है लेकिन नैतिक प्रशिक्षण और परिपक्वता का अभाव है, वे अनजाने में अथवा त्वरित लाभ की लालसा में ऐसे कृत्यों में संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि एआई और स्मार्टफोन के उपयोग के साथ–साथ डिजिटल नैतिकता, मानवीय मूल्यों और कानूनी जिम्मेदारियों का भी समुचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि तकनीक मानवता के विकास का साधन बने, विनाश का नहीं। इस संदर्भ में यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है–‘विज्ञान बिना विवेक के विनाश का कारण बनता है, जबकि विवेक के साथ वही विज्ञान मानवता का वरदान बन जाता है।’ ऐसी स्थिति में भारत में भी व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की आवश्यकता है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है और एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यदि भारत को विश्वगुरु के रूप में अपनी भूमिका निभानी है, तो उसे तकनीक और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। भारत द्वारा निर्मित नीतियां न केवल देश, बल्कि विश्व के लिए भी मार्गदर्शक बन सकती हैं। इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं–पहला, बच्चों और किशोरों के लिए स्मार्टफोन उपयोग की आयु–सीमा और समय–सीमा निधारित की जाए। एक निश्चित आयु तक बच्चों को केवल आवश्यक और नियंत्रित डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दूसरा, स्कूलों में साइबर साक्षरता और डिजिटल नैतिकता को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग ही नहीं, बल्कि उसके दुष्परिणामों और कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दी जानी चाहिए। तीसरा, अभिभावकों को डिजिटल पैरेंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाए। बच्चों को मोबाइल थमाकर जिम्मेदारी पूरी नहीं होती–उन्हें मार्गदर्शन, संवाद और संस्कार भी देने होंगे। चौथा, सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। हानिकारक और अश्लील सामग्री पर प्रभावी नियंत्रण, आयु सत्यापन और एल्गोरिदम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। पांचवां, युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक अवसरों का विस्तार किया जाए, ताकि वे त्वरित धनार्जन के प्रलोभन में अपराध की ओर न बढ़ें।

सुरक्षित रहें रोजमर्रा के लेन-देन में अपनाएं सुरक्षित भुगतान आदतें एसबीआई कार्ड

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। एसबीआई कार्ड की एमडी और सीईओ सलिला पांडे ने कहा ग्राहकों के खरीदारी करने, खर्च करने और भुगतान करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। आज डिजिटल लेन–देन केवल एक ही माध्यम या समय तक सीमित नहीं है । ग्राहक अब रिटेल और ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने, यात्रा की बुकिंग करने, बिलों का भुगतान करने या रोजमर्रा के खर्चों को संभालने के लिए लगातार डिजिटल लेन–देन कर रहे हैं। वहीं, बढ़ते डिजिटल उपयोग ने धोखाधड़ी करने वालों के लिए भी नए अवसर पैदा कर दिए हैं, जिसके चलते वे अधिक उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करके अनजान उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2025–26 के अनुसार, कार्ड और इंटरनेट से होने वाली धोखाधड़ी के मामले देश में रिपोर्ट किए गए कुल धोखाधड़ी के मामलों में लगभग 74 प्रतिशत थे, ये वित्तीय धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा सामने आने वाले तरीकों में से एक हैं। ऐसी घटनाओं से लोगों को पैसों का नुकसान, परेशानी और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या यह बताती है कि जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय तरीकों को अपनाना बहुत जरूरी है। ग्राहक–केंद्रित वित्तीय संस्थाएं जैसे ॅठप् कार्ड ग्राहकों की सुरक्षा और बेहतर अनुभव के लिए आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा सुविधाओं, 24X7 लाइव चौट सहायता और पूरे इकोसिस्टम में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसी के साथ, ग्राहकों के लिए भी जरूरी है कि वे सतर्क और सावधान रहें तथा समझदारी भरी आदतें अपनाएं, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं से बचा जा सके और उन्हें कम किया जा सके। इस पर टिप्पणी करते हुए एसबीआई कार्ड की एमडी और सीईओ सलिला पांडे ने कहारू ''डिजिटल भुगतान और क्रेडिट कार्ड उद्योग का भविष्य आखिरकार विश्वास पर ही निर्भर करेगा। उद्योग लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिनमें उन्नत सुरक्षा ढांचे और डेटा सुरक्षा से जुड़ी पहलों में निवेश करना शामिल है। वहीं, जैसे–जैसे धोखाधड़ी के तरीके विकसित हो रहे हैं, ऐसे ग्राहक जो यह समझते हैं कि धोखाधड़ी किस तरह की जाती हैं, वे ही अक्सर इनके खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा कवच साबित होते हैं। बातचीत की पुष्टि करना, संवेदनशील जानकारी साझा न करना और बिना मांगे आए अनुरोधों से सावधान रहना इन जैसी सरल आदतें अपनाने से ग्राहक धोखाधड़ी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं।'' एसबीआई कार्ड। के अनुसार, सुरक्षित, समझदारी भरे और अधिक भरोसेमंद भुगतान अनुभव के लिए प्रत्येक ग्राहक को अन्य उपायों के साथ–साथ इन दस बातों का पालन करना चाहिएरू केवल भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर ही खरीदारी करेंरू हमेशा आधिकारिक ब्रांड वेबसाइटों या भरोसेमंद ऑनलाइन मार्केटप्लेस से ही सामान खरीदें। सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के जरिए भेजी गई नकली वेबसाइटों के लिंक या अनजान अटैचमेंट पर क्लिक करने से बचें, क्योंकि ये डिजिटल धोखाधड़ी का एक आम जरिया होते हैं। एप्लिकेशन केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड करेंरू मोबाइल एप्लिकेशन हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर्स से ही इंस्टॉल करें। अनजान वेबसाइटों या अप्रमाणित स्रोतों से फाइलें या ऐप डाउनलोड करने से बचें, साथ ही, व्हाट्सएप, ैडै, ईमेल, सोशल मीडिया या फत कोड के माध्यम से मिले अनजान लिंक से ऐप डाउनलोड न करें, क्योंकि इनमें ऐसे मैलवेयर हो सकते हैं जो आपके डिवाइस और निजी जानकारी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कभी भी निजी जानकारी साझा न करेंरू किसी भी व्यक्ति के साथ अपने कार्ड की जानकारी, च्छ, व्ञ्च या ब्टट साझा न करें और किसी भी लेन–देन से पहले कॉल, ईमेल या मैसेज की वास्तविकता की जांच जरूर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतध्सवाल करते समय भी अपने कार्ड की जानकारी या फोन नंबर साझा न करें। वैध संस्थाएं कभी भी आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगती हैं। स्क्रीन शेयरिंग से होने वाली धोखाधड़ी से बचेंरू अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फोन की स्क्रीन किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने से बचें। फिशिंग (धोखाधड़ी वाले संदेशों) से सावधान रहेंरू ऐसे धोखाधड़ी वाले ईमेल, मैसेज और कॉल से सावधान रहें जिनमें दावा किया जाता है कि आपका अकाउंट बंद हो गया है, आपके पॉइंट्सध्ऑफर्स खत्म होने वाले हैं, या जिनमें नकली डिलीवरी अपडेट, फर्जी ई–चालान, टैक्स नोटिसध्जुर्माने की जानकारी दी जाती है। किसी भी जानकारी या बदलाव की पुष्टि हमेशा आधिकारिक ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों से ही करें। भरोसेमंद संस्थाएं तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां कभी भी कार्डधारक से गोपनीय जानकारी जैसे या मैसेज नहीं माँगती हैं। वित्तीय संस्थानों के नाम पर आने वाली कॉल की जांच करेंरू धोखेबाज अक्सर बैंक अधिकारी, क्रेडिट कार्ड प्रतिनिधि, ग्राहक सेवा अधिकारी या वित्तीय सलाहकार बनकर कॉल करते हैं। वे कार्ड अपग्रेड, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने, रिवॉर्ड रिडीम करने, सेटलमेंट ऑफर या अकाउंट दोबारा शुरू करने जैसी सेवाओं का लालच देकर डर या जल्दबाजी की स्थिति पैदा करते हैं। अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है, तो कॉल काट दें और संबंधित संस्था से उसकी आधिकारिक ग्राहक सेवा के माध्यम से सीधे संपर्क करें। भुगतान से जुड़ी धोखाधड़ी से सावधान रहें और संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करेंरू अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसा भुगतान या रिफंड दिखाई देता है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है, तो कोई भी कदम उठाने से पहले हमेशा जांच लें कि वह राशि वास्तव में आपके अकाउंट में जमा हुई है या नहीं। अगर गलती से आप अपनी संवेदनशील जानकारी साझा कर देते हैं, किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक कर देते हैं, कोई बिना सत्यापित ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, या अकाउंट में कोई अनधिकृत गतिविधि देखते हैं, तो तुरंत अपने बैंक या कार्ड जारी करने वाली संस्था से संपर्क करें, प्रभावित कार्ड (कार्डों) या खाते (खातों) को ब्लॉक करें और बिना देरी किए इस घटना की सूचना साइबर अपराध अधिकारियों को दें।

निजीकरण को लेकर ब रे का कर्मचारियों ने दिया प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन

वाराणसी, (संवाददाता)। ब रे का में निरंतर बढ़ते निजीकरण की समस्या को लेकर डी एल डब्लू मेंस यूनियन (ए आई आर एफ) के नेतृत्व में ब रे का कर्मचारियों के बीच चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के उपरांत लगभग 3300 से ज्यादा कर्मचारियों से हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सहायक पुलिस कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन,प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय को सौंपा ।जिसमें ब रे का में किए जा रहे निरंतर निजीकरण एवं आउट सोर्सिंग के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया।ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि करोड़ो रुपये के इन्फ्रास्टचर तथा पर्याप्त मैन पावर होने के बावजूद मनमाने तरीके से ब रे का में होने वाले वो कार्य जो नियमित तरीके से कर्मचारियों द्वारा संपन्न किए जाते थे,उसे एक साजिश के तहत रेल मंत्रालय को गलत सूचना प्रदान कर ठेके के माध्यम से निजी हाथों में दे दिए गए।जिसमें प्रमुख रूप से लिफ्टरों का संचालन,टर्बो सुपर चार्जर की ओवरहालिंग,पावर पैक असेंबली,पेंटिंग के कार्य,ब्लॉक निर्माण एवं बोगी निर्माण के कार्यों समेत अनेकों असेंबली के कार्य जो ब रे का कर्मचारियों द्वारा किया जाता था।कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया कि गहरी साजिश के तहत कर्मचारियों के हाथों से कामो को छीन कर निजी कंपनियों को सौंपने की साजिश कर पूर्वांचल के एक मात्र केंद्र सरकार के उत्पादन इकाई को निजीकरण की ओर धकेलने की साजिश है।जो निंदनीय है,जिसकी जानकारी माननीय सांसद वाराणसी एवं प्रधानमंत्री भारत सरकार को होना जरूरी है। ब रे का कारखाने के लंच ब्रेक का सायरन बजते ही सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी कारखाने के पूर्वी गेट पर एकत्रित हो गए इसके उपरांत निजीकरण,एवं आऊट सोर्सिंग के खिलाफ नारेबाजी एवं हाथ में निजीकरण एवं आऊट सोर्सिंग के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां ले कर जुलुस की शक्ल में प्रशासन भवन गेट पर पहुंचकर जिला प्रशासन की तरफ से नामित असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को 3300 से ज्यादा कर्मचारियों के हस्ताक्षरित माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।और निजीकरण के खिलाफ आवाज को बुलंद किया गया। जुलुस एवं ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से यूनियन के महामंत्री अरविन्द श्रीवास्तव,त्रिलोकी नाथ सिंह,शिवबालक प्रसाद ,अजय कुमार ,नवीन राय,अरविन्द प्रधान,अनंत सिंह, एस.पी.राय,वीरेश पाण्डेय,आशुतोष कुमार,नीलेश राय, धनंजय राय,अभिषेक वर्मा,अभिमन्यु राय,गोपाल घटक,शिव कुमार यादव,संजय शुक्ला ,कमलेश, अविनाश,शुभम चौधरी, बी. डी.दुबे,अमित यादव,रवि नारायण सिंह,कर्मचारी परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह,संजय मिश्रा,समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

संक्षिप्त खबरें

खादी एवं ग्रामोद्योग योजनाओं से युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया गया जागरूक

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विपणन विकास सहायता (एससीएसपी) योजना के अंतर्गत बुधवार को आईटीआई कॉलेज, अलीगंज में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना था।कार्यक्रम की अध्यक्षता आईटीआई अलीगंज के प्राचार्य राजकुमार यादव ने की। इस अवसर पर सहायक आयुक्त उद्योग विमल कुमार सिंह, परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी लखनऊ मंडल पी.एन. सिंह, एडीओ समाज कल्याण विवेक श्रीवास्तव, एफआई पूनम, एफआई शिवचंद राम, एफआई एस.पी. निगम तथा जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय के हेमंत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।जागरूकता कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इच्छुक युवक–युवतियां विभागीय योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा ऋण सुविधा का लाभ लेकर अपना उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभागीय योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाएं, पंपलेट और अन्य जानकारी सामग्री भी वितरित की गई। अधिकारियों ने युवाओं से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार के अवसर सृजित करने और स्वरोजगार अपनाने की अपील की।कार्यक्रम का आयोजन जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अवधेश कुमार गौतम द्वारा किया गया।

खाद्यान्न खरीद और किसानों के हित में केंद्र से मांगी राहत

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय ने नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर किसानों और खाद्यान्न खरीद व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने लंबित देयकों के शीघ्र भुगतान, भंडारण क्षमता बढ़ाने तथा मक्का खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की।डॉ. पाण्डेय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न खरीद से संबंधित कई प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की स्वीकृतियां अभी लंबित हैं, जिससे मंडी समितियों और अन्य संस्थाओं के भुगतान प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मक्का और बाजरा खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए लगभग 118 करोड़ रुपये के सब्सिडी दावे का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है।उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत परिवहन, हैंडलिंग और अन्य मदों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए 632 करोड़ रुपये से अधिक के दावे भी लंबित हैं। इन भुगतानों के शीघ्र निस्तारण से खरीद व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी।खाद्य एवं रसद मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 में प्रदेश में गेहूं खरीद का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। खरीदे गए गेहूं का लगभग 72 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है, जबकि शेष गेहूं के सुरक्षित भंडारण और समयबद्ध उठान के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाओं की आवश्यकता है।

यह समाचार आपके पोर्टल की शैली के अनुसार तैयार किया गया है

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिनहट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनीनगर में नशा मुक्ति एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों, कानूनी प्रावधानों तथा उपलब्ध विधिक सहायता एवं पुनर्वास सेवाओं के प्रति जागरूक करना था।जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलखान सिंह के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में नशा मुक्ति एवं विधिक जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। शिविर का संचालन पराविधिक स्वयं सेवक राजेश कुमार एवं दयाराम मौर्य द्वारा किया गया।

थाना केराकत, गौराबादशाहपुर पुलिस की संयुक्त टीम व स्वाट/एसओजी, सर्विलांस टीम के सहयोग से हुई मुठभेंड में अवैध असलहा तस्कर व अन्तर्जनपदीय लुटेरा सहित 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार (01 घायल), कब्जे से अवैध 03 पिस्टल, 10 तमंचा, खोखाध्कारतूस व 02 मोटरसाइकिल बरामद

ब्यूरो चीफ विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । दिनांक 26.06. 2026 को प्रभारी निरीक्षक केराकत मय पुलिस टीम के साथ शांति व्यवस्था व मोहर्रम त्यौहार के दृष्टिगत चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मोबाइल फोन के माध्यम से थानाध्यक्ष गौराबादशाहपुर द्वारा सूचना दी गई कि बगथरी नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाशों ने उन पर जान से मारने की नियत से फायर किया है और वे केराकत क्षेत्र की तरफ भाग रहे हैं। इस सूचना पर केराकत पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मल्लूपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी की। सामने से आ रही मोटरसाइकिलों को रुकने का इशारा किया गया, तो बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से सीधे फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में गैंग लीडर बदमाश शैलेश यादव के बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह वहीं गिर गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर मौके से भाग रहे शेष तीनों बदमाशों (पीयूष यादव, करन यादव और एक बाल अपचारी) को भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अभियुक्त शैलेश यादव को तत्काल जीवनरक्षार्थ इलाज हेतु पुलिस अभिरक्षा में अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि शैलेश यादव उनके गैंग का लीडर है। ये सभी मिलकर अवैध असलहों की तस्करी (खरीद–बिक्री) करते हैं। आज भी ये दोनों मोटरसाइकिलों पर भारी मात्रा में अवैध असलहे बेचने जा रहे थे। पुलिस से बचने और पकड़े जाने के डर से इन्होंने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया था। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना केराकत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0स0 260 धारा 109(1) बीएनएस व 3/9/25/25(1।।) शस्त्र अधि0 थाना केराकत जनपद–जौनपुर

आपराधिक इतिहास

शैलेश यादव पुत्र छोटे लाल यादव उर्फ हीरा यादव उम्र 27 वर्ष निवासी पतोरा थाना केराकत जनपद जौनपुर

1–मु0अ0सं0– 53/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना केराकत जौनपुर

2–मु0अ0सं0–342/22 धारा 307/34 आईपीसी थाना केराकत जौनपुर

3–मु0अ0सं0–393/21 धारा 379/411 आईपीसी थाना केराकत जनपद जौनपुर

4–मु0अ0सं0–349 / 23 धारा 323/504/506/ 427 ध्325 आईपीसी और 3(2)5 एससी एसटी एक्ट थाना केराकत जौनपुर

5–मुकदमा अपराध संख्या –258/23 धारा 307 आईपीसी 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरा बादशाहपुर जौनपुर

6–मु0अ0सं0–262/23 धारा 323/5 04/5 06/ 427 आईपीसी थाना चंदवक जौनपुर

7–मु0अ0सं0–102/ 23 धारा 379/411 आईपीसी थाना जफराबाद जौनपुर मुकदमा अपराध संख्या 129 /24 धारा 309(6)इदे थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

8–मु0अ0सं0–130/ 24 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना खानपुर गाजीपुर

9–मु0अ0सं0–150/ 24 धारा 309(4)/317(2)इदे में थाना नंदगंज गाजीपुर

10–मु0अ0सं0–151/ 24 धारा 109 /262/309(2)317 इदे थाना नंदगंज गाजीपुर

11–नि0का0 वर्ष 2026 में गुंडा एक्ट थाना केराकत जौनपुर ।

12–मु0अ0सं0–247/26 धारा 25/30 ए एक्ट थाना केराकत जौनपुर

13–मु0अ0सं0–118/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधि0 थाना देवगाँव आजमगढ

14–मु0अ0सं0–222/21 धारा 379/411/413/414 भा0द0वि0 थाना देवगाँव आजमगढ

15–मु0अ0सं0–273/21 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना देवगाँव आजमगढ

16–मु0अस0–304/21 धारा 379/411/413/414/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना देवगाँव आजमगढ

2.करन यादव पुत्र स्व0 अभिमन्यु यादव, निवासी लेबरुआ, थाना चन्दवक, जौनपुर

1. मु0अ0सं0– 139/2024 धारा 303(2),317(2),318(4) बीएनएस थाना खानपुरु जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण–

1.शैलेश यादव पुत्र छोटेलाल यादव उर्फ हीरा, निवासी ग्राम पतौरा, थाना केराकत, जौनपुर ख्मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल,

2.पीयूष यादव पुत्र पंचम यादव, निवासी सरोज बड़ेवर, थाना केराकत, जौनपुर

3.करन यादव पुत्र स्व0 अभिमन्यु यादव, निवासी लेबरुआ, थाना चन्दवक, जौनपुर

4.एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण–

देशी तमंचा .315 बोर– 10

देशी पिस्टल .32 बोर – 03

खोखा कारतूस .315 बोर –02 (घटनास्थल व तमंचे से बरामद)

जिन्दा कारतूस .32 बोर –02

मिस कारतूस .32 बोर –01

मोटर साइकिलरू– 02 अदद (01 सफेद अपाचे UP62BX 9931 व 01 बिना नंबर प्लेट हीरो स्पलेंडर प्लस) ख्धारा 207 एमवी एक्ट में सीज,

मोबाइल फोन –03 अदद (Infinix, Redmi o G–कंपनी के एंड्रायड फोन)

पुलिस टीम का विवरण

1. अरविन्द कुमार पाण्डेय (प्रभारी निरीक्षक, थाना केराकत, जौनपुर)

2. गंगासागर मिश्रा (थानाध्यक्ष, थाना गौराबादशाहपुर, जौनपुर)

3. द्वारिकानाथ यादव (अपराध निरीक्षक, थाना केराकत, जौनपुर) मय हमराह क्राइम टीम व थाना पुलिस बल (हे0का0 रवि प्रताप सिंह, हे0का0 राकेश कुमार सिंह, हे0का0 विनोद यादव, का0 राहुल कन्नौजिया, का0 रामअवतार सिंह, का0 नौशाद, का0 अनिल यादव, का0 हरेन्द्र राजभर व चालकगण)।

पंचायत आधारित डिजिटल सेवा वितरण में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ा

लखनऊ, (संवाददाता)। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं की पहुंच मजबूत करने और ग्रामीण नागरिकों तक शासन की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर) में आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान लखनऊ की डॉ. रंजना सिंह और सोनभद्र के संतोष कुमार को उत्कृष्ट डिजिटल सेवा एवं जनसेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया।पंचायती राज मंत्रालय और कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के संयुक्त तत्वावधान में 23 जून को श्रीनगर में ''सेवा से समृद्धिरू पंचायत आधारित सेवा वितरण'' विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और कॉमन सर्विस सेंटर संचालक उपस्थित रहे।कार्यशाला में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डिजिटल गवर्नेंस, पंचायत आधारित सेवा वितरण, नागरिक सहभागिता और सुशासन के प्रभावी मॉडलों पर विचार–विमर्श किया गया। तकनीकी सत्रों और अनुभव साझा कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की सफल कार्यप्रणालियों को प्रस्तुत किया गया।कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर उत्कृष्ट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले कॉमन सर्विस सेंटरों और विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई) को सम्मानित किया गया।

अकीदत, ऐतबार के साथ उठाई गई गुल्लू पहलवान की मन्नती मेहंदी

प्रयागराज, (संवाददाता)। इस्लामे हिन्द मोहर्रम कमेटी की माहे मोहर्रम की 7 तारीख को गुल्लू पहलवान की मेहंदी उठाई गई। मेहंदी को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। मेहंदी में चार गेट, मेहराब मीनार, गुंबद बनाया गया है मेहंदी में गुलदाउदी और गुलाब के फूलों से सजाया गया। कारीगरी इतनी शानदार है कि मानो फूल नहीं मोती और नगीना जड़े हुए हैं। दो दर्जन कारीगरों ने मिलकर तैयार किया है। मेहंदी की खूबसूरती लाजवाब है इसे प्रयागराज के प्रसिद्ध गौस माली ने तैयार किया है। देर रात को या अली या हुसैन बुलंद नारो के साथ मेहंदी उठाई गई। नौजवानों में जोश भरा हुआ था। वह अपने कंधों पर मेहंदी को लेकर गश्त कराने निकल पड़े। मेहंदी को देखने के लिए अकीदतमंद कई शहर से अपने रिश्तेदारों यहां पहले से आ जाते हैं। मेहंदी उठते ही उसकी खूबसूरती की तारीफ शुरू हो जाती है।

'मम्मा जी की स्मृति में ब्रह्माकुमारी संस्था सम्मानित, रेडक्रॉस ने दिया मानवता और रक्तदान का संदेश'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहाँपुर' प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका परम आदरणीय माता जगदम्बा सरस्वती (मम्मा) जी की 61वीं स्मृति दिवस के अवसर पर अब्दुल्लागंज स्थित सत्य विद्या धाम केंद्र पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा ब्रह्माकुमारी संस्था को मानवता, नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक जागरण एवं जनकल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए प्रशस्ति–पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रशस्ति–पत्र केंद्र की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्माकुमारी चरिता बहन एवं केंद्र संचालिका ब्रह्माकुमारी विनीता बहन ने ग्रहण किया। इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से उन्हें रेड क्रॉस मेडल, शॉल, स्मृति–चिह्न एवं संस्था के उपयोगार्थ तिरपाल एवं जल संरक्षण हेतु बाल्टी भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी संजय गुप्ता पाइप वाले विशिष्ट अतिथियों में रमा सिंघल रामचंद्र फ्लोर मिल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को रेड क्रॉस मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने कहा कि माता जगदम्बा सरस्वती (मम्मा) जी त्याग, तपस्या, प्रेम एवं आध्यात्मिक शक्ति की अमर प्रतिमूर्ति थीं। उनका जीवन ईश्वरीय ज्ञान, सेवा और मानव कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राजयोग व्यक्ति को आत्मस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देता है, जिससे जीवन में शांति, शक्ति एवं सकारात्मकता का संचार होता है। इस अवसर पर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉ विजय जौहरी ने रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि ष्एक यूनिट रक्तदान चार लोगों को जीवनदान देने में सहायक बन सकता है।ष् उन्होंने कहा कि माता जगदम्बा सरस्वती (मम्मा) जी की स्मृति में मनाए जा रहे इस पावन अवसर पर हमें मानवता की सेवा के लिए रक्तदान का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक माँ गर्भावस्था के दौरान अपने रक्त से शिशु का पोषण एवं संरक्षण करती है और जन्म के बाद भी अपने वात्सल्य से उसका जीवन संवारती है। इसलिए मातृत्व के इस महान त्याग और समर्पण का सम्मान करने के लिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जन्मदिवस, वैवाहिक वर्षगाँठ अथवा किसी विशेष अवसर पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए। केक काटने के साथ यदि रक्तदान भी किया जाए तो वह समाज और मानवता के प्रति सच्चे कर्तव्य का निर्वहन होगा। उन्होंने उपस्थित लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने तथा अन्य लोगों को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करने का आह्वान करते हुए कहा कि ष्रक्तदान महादान है, क्योंकि यह किसी अनजान व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है।ष् कार्यक्रम में अंकित गुप्ता, बृजेश गुप्ता, महेश शर्मा, हरिश बाबू, पशुपति आर्य, आर्यन वर्मा, संगीता, प्रेमलता, चन्द्रावती, शालिनी गुप्ता, सीमा गुप्ता, कमला, रामवती,विमला सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

माफी मांगकर पत्नी को मायके से ले गया पति, 3 घंटे बाद अकेला लौटा

गोरखपुर, (संवाददाता)। क्षेत्र के गैनही जंगल गांव मायके पहुंची विवाहिता रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। पिता ने दहेज उत्पीड़न और अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। खास बात यह है कि पति अपनी पत्नी को साथ ले गया और करीब तीन घंटे बाद अकेला लौटकर उसके बारे में अनभिज्ञता जताने लगा। गैनही जंगल गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी 29 वर्षीय पुत्री की शादी करीब 11 वर्ष पहले पिपरा बाजार थाना क्षेत्र निवासी धर्मेन्द्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनकी बेटी को प्रताड़ित करता था और पति आए दिन मारपीट करता था। पीड़ित पिता के अनुसार, पुत्री को पता चला था कि उसका पति और उसके परिजन उसकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। इस भय से वह 12 जून 2026 को ससुराल से भागकर मायके गैनही जंगल आ गई और घर वालों को पूरी बात बताई। घर वालों का कहना है कि 14 जून को धर्मेन्द्र उनके घर पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए पत्नी को साथ ले जाने के लिए माफी मांगी। कुछ देर बाद विवाहिता फिर मायके लौट आई। इसके बाद धर्मेन्द्र दोबारा आया और उसे खड्डा ले गया। आरोप है कि करीब तीन घंटे बाद वह अकेले लौट आया और परिजनों से कहा कि आपकी पुत्री नहीं है। पति के इस जवाब से घर वालों के होश उड़ गए। उन्होंने रिश्तेदारी और संभावित स्थानों पर काफी खोजबीन की, लेकिन विवाहिता का सुराग नहीं मिला। इसके बाद पिता ने बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। थानाध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि मामले में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है और महिला की तलाश की जा रही है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

शादी का झांसा देकर किशोरी को अगवा करने का आरोपी मौलाना गिरफ्तार

गोरखपुर, (संवाददाता)। गुलरिहा क्षेत्र से अगवा हुई 15 वर्षीय किशोरी को खोजकर पुलिस ने आरोपी मौलाना सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया है, जबकि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी मौलाना किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा किया था। किशोरी के बयान के आधार पर मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। पुलिस के अनुसार, गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी पास के एक मदरसे में पढ़ाई करती थी। 17 जून की दोपहर वह अचानक घर से गायब हो गई। किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवक पर संदेह जताया। जांच के दौरान पता चला कि बांसगांव थाना क्षेत्र के धनौरा विशुनपुर पचीसी निवासी सरफराज कुछ समय पहले गुलरिहा के एक मदरसे में अफरोज नाम से मौलवी का कार्य करता था। आरोप है कि उसकी गतिविधियों को लेकर शिकायतें मिलने पर करीब 15 दिन पहले उसे मदरसे से हटा दिया गया था। मदरसा छोड़ने के बाद वह कुछ दिनों तक आसपास रहा और बाद में एम्स थाना क्षेत्र के कुरमौल बहरामपुर स्थित एक मदरसे में पढ़ाने लगा। इसी दौरान वह किशोरी के संपर्क में बना रहा और उससे फोन पर बातचीत करता था। पुलिस को आरोपी के ठिकाने की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार शाम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह का कहना है कि किशोरी को विधिक प्रक्रिया के तहत नारी निकेतन भेजा गया है। बुधवार को आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, किशोरी का बयान दर्ज होने के बाद मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

वाराणसी एयरपोर्ट पर हब एंड स्पोक विमान सेवा की शुरुआत, मंत्री ने चार यात्रियों को दिए बोर्डिंग पास

वाराणसी, (संवाददाता)। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने श्हब एंड स्पोकश विमान सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने चार यात्रियों को बोर्डिंग पास दिया। उत्तर प्रदेश के मंत्री हंसराज विश्वकर्मा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विपिन कुमार की उपस्थिति में एक विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अपर सचिव पुनीत कंसल और मंडलायुक्त वाराणसी एस. राजलिंगम भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि यहां की हवा, पानी, धरती और मिट्टी के हर कण में शंकर की शक्ति नजर आती है। यह हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज का यह विशेष कार्यक्रम वाराणसी से शुरू होकर भारत में इतिहास रचने वाला है। इसके लिए सभी को आनंद और गौरव की अनुभूति हो रही है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व में शुरू हो रहा है। भारत इस कार्यक्रम का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार ने कहा कि पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई यात्रा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

आखिर कब जाम की मकड़ जाल से मुक्त होगी रामनगरी, नो पार्किंग व मार्ग पर खड़े वाहन बन रहे जाम का कारण

अयोध्या।शहर के अधिकतर चौराहो व मार्गो पर जाम समस्या सबसे बडी समस्या है।पिछले दिनों पुलिस, यातायात पुलिस के साथ–साथ आरटीओ विभाग महज कागजों पर ही खानापूर्ति कर रहे है।वहीं इस समय यातायात पुलिस द्वारा नो पार्किंग के साथ–साथ अन्य चौराहों पर खड़े दो पहिया तथा तीन पहिया के साथ–साथ चार पहिया वाहनों को भी उठाकर पुलिस लाइन ले जा रही है और महज 500 चालान के रूप में लेकर पुनः छोड़ दे रही है।यातायात पुलिस के बिना किसी डर के वाहन स्वामियों के बीच तू डाल–डाल में पात पात की स्थिति सी उत्पन्न सी हो गई है।इस समय जहां एक ओर यातायात पुलिस एक दो वाहनों को उठाकर कागजी कार्यवाही कर ले रही है।वहीं उनसे दो कदम आगे वाहन स्वामी भी हैं। क्योंकि ये सभी वाहन स्वामी शहर के विभिन्न इलाकों चौराहों प्रमुख मार्गो पर अपने वाहनों को ऐसी जगह खड़ी कर देते हैं जहां पर जाम लगना तो संभव ही है।शहर के चौक,रिकाबगंज, देवकाली तिराहा, गुदरी बाजार, नियावा, साहबगंज, बेनीगंज, देवकाली बाईपास, शांति चौक चौराहा, नाका बाईपास, रायबरेली रोड, सिविल लाइन, मकबरा,महिला चिकित्सालय, कसाबबाडा, के अलावा कोई ही ऐसा चौराहा यह मार्ग न हो, जहां पर घंटों जाम न लगता हो।सबसे अधिक विकट स्थित शाम को नाका, रायबरेली रोड,महिला अस्पताल के सामने सहित अन्य प्रमुख मार्गो पर जहां बड़े–बड़े अस्पताल तो हैं लेकिन पार्किंग ना होने के चलते मजबूरी में मरीजों के परिजन अपने–अपने चार पहिया व दो पहिया वाहनों को सड़क पर ही खड़ी करते हैं।इसके बावजूद वहां पर ना तो कोई यातायात सिपाही कर्मी दिखाई देता है ना ही पुलिस से संबंधित अन्य कर्मी।जिसके चलते इधर से गुजरने वाले दो पहिया वाहन चालक भी आए दिन चोटिल होते रहते हैं। इस गंभीर समस्या पर इधर से गुजरने वाले राहगीरों के अलावा स्थानीय लोगों में भी इससे संबंधित खासकर पुलिस और यातायात विभाग के कर्मियों व अधिकारियों पर गुस्सा दिखाई पड़ रहा है।इस संबंध में एसपी यातायात एपी सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा बीच–बीच में उनके खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाता है।यातायात पुलिस दावे तो चाहे जितना करे लेकिन उनका यह दावा भी खोखला साबित हो रहा है।

नौ साल की ज्योति बनी इकलौती गवाह, आंखों के सामने उजड़ गया था परिवार

गोरखपुर, (संवाददाता)। बांसगांव में ट्रिपल मर्डर की गवाह नौ साल की ज्योति है। वह उस खौफनाक रात की इकलौती गवाह बनी, जब उसकी आंखों के सामने हंसता–खेलता परिवार खत्म हो गया। ज्योति ने इस वारदात में अपनी मां रंजना, पिता अमित गुप्ता और तीन साल के छोटे भाई रेयांश को हमेशा के लिए खो दिया। उस रात का डर आज भी उसके शब्दों और आंखों में साफ दिखाई देता है। पुलिस ने उसका वीडियो बयान दर्ज कर लिया है। जल्द ही कोर्ट में बयान दर्ज कराया जाएगा। ज्योति ने पुलिस के सामने दिए गए बयान में बताया कि वारदात वाली रात वह अपने माता–पिता और छोटे भाई के साथ कमरे में सो रही थी। अचानक तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलीं तो देखा कि पिता उसके ऊपर गिरे हुए थे और चाचा उन पर हमला कर रहे थे। यह देखकर वह डर गई और कमरे के एक कोने में छिप गई। इसके बाद आरोपी ने उसकी मां पर हमला किया। कुछ देर बाद तीन साल के रेयांश को भी गोद में उठा लिया। ज्योति ने पुलिस को बताया कि उसकी आंखों के सामने मम्मी–पापा खून से लतपथ पड़े थे। उसने रोते हुए गुहार लगाई–चाचा! मेरे बाबू को छोड़ दीजिए... लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में कमरे में चीखों की जगह खामोशी छा गई और ज्योति की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। वारदात के बाद आरोपी ज्योति के पास पहुंचा और धमकाते हुए कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसका भी यही हाल कर देगा। डरी हुई बच्ची चुप रही। इसके बाद आरोपी घर में नहाया, कपड़े बदले और छत पर जाकर मोबाइल में धुरंधर फिल्म का गाना सुनने लगा। डरी–सहमी ज्योति किसी तरह अपने दादा–दादी के पास पहुंची और पूरी घटना बताई। पोती की बात सुनकर दादी अनिता देवी उसके साथ कमरे में पहुंचीं। कमरे का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर बेटे, बहू और पोते के शव पड़े थे। यह देखते ही दादी बेहोश हो गईं। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। करीब 20 मिनट के भीतर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि आरोपी छत पर मौजूद है। पुलिस जब सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी तो रास्ता बंद मिला। इसके बाद पुलिस पड़ोसी के घर की छत से पहुंची, जहां आरोपी मिल गया।

सात दिन पहले लापता हुआ, झाड़ी में मिला युवक का क्षत-विक्षत शव

गोरखपुर, (संवाददाता)। हाटा कोतवाली क्षेत्र के पड़री में बुधवार सुबह युवक का शव झाड़ियों में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसकी पहचान धनहा निवासी योगेश पुत्र रामप्यारे के रूप में हुई है। योगेश गोरखपुर नगर निगम में सफाईकर्मी था और सात दिन पहले लापता हो गया था। घरवालों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के धनहा गांव के 32 वर्षीय योगेश 17 जून को घर से पेड़ की डाली काटने की बात कहकर निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रिश्तेदारों और परिचितों के यहां खोजबीन के बावजूद उसका पता नहीं चल सका। इस दौरान पता चला कि योगेश की साइकिल और मोबाइल फोन किसी दुकान पर बंधक है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। बुधवार सुबह बंचरा–पडरी मार्ग स्थित ईंट–भट्ठे के पास झाड़ियों में चप्पलों पर ग्रामीणों की नजर पड़ी। लोगों ने आसपास तलाश की तो झाड़ियों के अंदर शव दिखा। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि शव क्षत–विक्षत अवस्था में था। शव की हालत देखकर स्थानीय लोगों में तरह–तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। घर वालों का आरोप है कि योगेश की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका गया है। उन्होंने मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। योगेश का शव मिलने की सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। योगेश की पत्नी का चार वर्ष पहले निधन हो चुका है। वह अपने पीछे पांच बच्चों को छोड़ गया है।

वाराणसी–शक्तिनगर राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, खड़े वाहन में घुसी बरात से लौट रही मैजिक

वाराणसी, (संवाददाता)। सोनभद्र जिले के चोपन थाना क्षेत्र के गुरमुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम के पास वाराणसी– शक्तिनगर राजमार्ग पर गुरुवार को डीजे लदा मैजिक वाहन खड़े अज्ञात वाहन में पीछे से जा भिड़ा। हादसे में डीजे वाहन पर सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दो अन्य को मामूली चोटें आई हैं। रॉबर्ट्सगंज की डीजे साउंड सर्विस का मैजिक वाहन दुद्धी क्षेत्र के नगवा गांव में बरात की बुकिंग पूरी कर वापस लौट रहा था। गुरमुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम के पास पहुंचते ही वाहन सड़क किनारे खड़े अज्ञात वाहन से पीछे से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर डायल 112 पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन भेजा गया। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल चंदन (42) पुत्र राजकुमार, निवासी चुर्क को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं शिवा (21) पुत्र राजमन, निवासी छपका और विनय कुमार (21) पुत्र शिव प्रसाद, निवासी गड़वां को मामूली चोटें आईं, जिन्हें उपचार के बाद घर भेज दिया गया। हादसे के बाद चोपन थाना के उपनिरीक्षक विनोद यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रैक्टर के जरिए क्षतिग्रस्त केबिन को खींचकर उसमें फंसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान मनोज कुमार मौर्य (32) निवासी लोढ़ी (आरटीओ कार्यालय के पास) और श्याम बाबू निवासी छपका के रूप में हुई। मनोज कुमार की दो बेटियां हैं, जबकि श्याम बाबू अपने पीछे तीन बच्चों का परिवार छोड़ गए हैं। चोपन एसओ गोपालजी गुप्ता ने बताया कि दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

होटल वाले रेस्टोरेंट पर परोसा जा रहा संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थ

अयोध्या।शहर से ग्रामीण क्षेत्रों मे इस समय कई जगहों पर स्थित होटल व रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को खुले रुप से संक्रमण खाद्य पदार्थ परोसा जा रहा है।ठेलो व मिठाइयों की अन्य दुकानों पर सड़े गले खाद्य पदार्थ भी बिकने की शिकायत खाद्य प्रशासन को मिल रही है।बताते चलें कि इधार काफी दिनों से कई ऐसे रेस्टोरेंट तथा होटल के अलावा ठेलो पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ में मिलावट की शिकायत आ रही है।मालूम हो कि शहर के रिकाबगंज, सिविल लाइन, देवकाली, चौक, रीडगंज, बेनीगंज, रोडवेज, नियावा, गुदडी बाजार, वजीरगंज, फतेहगंज के अलावा कई जगहों पर संक्रमण युक्त खाद्य पदार्थ ग्राहकों व श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है।यही हाल अयोध्या धाम का है जहां पर कई ऐसे होटल रेस्टोरेंटों में सडे गले खाद्य पदार्थों को परोसकर उनके सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित विभाग चुप्पी साधे रहता है।जबकि दीपावली,रक्षाबंधन, होली सहित अन्य प्रमुख पर्व आते हैं तब खाद्य विभाग कुंभकर्णी नीद से जाकर जिले के कुछ छोटे–मोटे प्रतिष्ठानों पर छापा डालकर वाहवाही लूट लेते हैं।परंतु इस गंभीर समस्या पर इससे संबंधित अधिकारियो व कर्मियों का ध्यान नहीं जा रहा है।

ट्रस्ट में शामिल सदस्यों व कर्मियों ने चंदा घोटाला कर राम भक्तों के आस्था के साथ किया खिलवाड़ – केजरीवाल

अयोध्या।श्री राम जन्मभूमि चंदा घोटाले की जितना भी निंदा किया जाए वह कम है।ट्रस्ट में शामिल सदस्यों तथा कर्मचारियों ने भगवान राम के साथ–साथ राम भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता यह बातें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहीं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर मे उनके घर में महा डकैती हो गई है।भगवान राम के आभूषण,उनका हार,उनकी पादुका, उनपर चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों, अरबों रुपए का कैश, और ना जाने क्या–क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया और इस चोरी में बहुत बड़े–बड़े राक्षस शामिल हैं।भगवान राम पे करोड़ों–करोड़ों लोगों की आस्था है।उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है।जिससे लोग आहत हुए हैं।कहा कि मैं स्वयं बहुत आहत हुआ।और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है जो इस महा डकैती में शामिल हैं।बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है।जाहिर तौर पर वह अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं।कहा कि यह जो फर्जी एसआईटी बनी अब कल फर्जी एफआईआर हुई।उस फर्जी एफआईआर में आठ छोटे–छोटे छोटे–छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया।कोई बड़े नाम नहीं है।तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महा डकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े–बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।यह एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को बड़े–बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने दो उदाहरण देते हुए यह दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास के सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांटी तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है।सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी उन्होंने दान दी। उन्हें रसीद नहीं मिली। उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की।उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहां चंदा चढ़ा रहे हैं।भगवान राम पर उनकी अटूट श्रद्धा है। लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमग हो गया।

राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस ने किया नामजद आठों आरोपियों को कोर्ट में पेश

अयोध्या।राम मंदिर मे दान गबन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है।शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच थाना राम जन्मभूमि मे दर्ज मुकदमे में नामजद आठों आरोपियों को स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया।जहाँ से अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को आरोपियों की रिमांड नहीं ली है।बताया जा रहा है कि मोहर्रम अवकाश के चलते पेशी स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में कराई गई।अब सोमवार को इन सभी आठों आरोपियों की दोबारा पेशी होगी, जहां पुलिस उनसे पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) की मांग कर सकती है।पुलिस की माने तो अब तक आरोपियों के पास से 79 लाख 85 हजार रुपये की बरामदगी की जा चुकी है। मामले की जांच और पूछताछ जारी है।जिन आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ उनमें टिन्नू,लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला,करुणेश पांडेय, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अनुकल्प लवकुश का जीजा है।ये दोनों अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं।वहीं, मनीष टिन्नू यादव का भतीजा है।

युवाओं की आवाज मजबूत करने का लिया संकल्प

भदोही, (संवाददाता)। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को हरिहरपुर में छात्र–युवा संवाद का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्र–युवा, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, संगठन की मजबूती संग राहुल गांधी के निर्देश में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज अभियान पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडेय ने कहा कि देश का युवा आज शिक्षा, रोजगार और अवसरों के संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से बुलंद करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का छात्रों की गूंज अभियान छात्रों और युवाओं की समस्याओं को सीधे सुनने और उन्हें संघर्ष की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास है। जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। कार्यक्रम के संयोजक प्रेम बिहारी उपाध्याय ने सभी अतिथियों, छात्रों, युवाओं एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उसके जमीनी कार्यकर्ता होते हैं। इस मौके पर डॉ. राजेंद्र कुमार दूबे, हरिकेश कुमार काशीनाथ गौतम, सुरेश गौतम, त्रिलोकी नाथ बिंद आदि रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9415034002
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।